मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-13.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रधान सचिव/सचिव से बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के संदर्भ में विशेष रूप से बताया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का उद्देश्य न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना है। बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की सही प्रकार से क्रियान्वयन कराया जाय तो राज्य सरकार की छवि सुधारी जा सकती है एवं सरकार का बहुत सारा पैसा अनावश्यक की मुकदमेबाजी में खर्च होने से बचाया जा सकता है। इस दिशा में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावीपूर्ण क्रियान्वयन कराये जाने का निर्देश दिया गया।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के संदर्भ में बताया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के नियम 4.A(4) के तहत सभी विभागों में गठित विभागीय शिकायत निवारण समिति में मामलें की क्या स्थिति है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में सभी विभागों को विभागीय शिकायत निवारण समिति में प्राप्त हुए आवेदनों पर मुकदमा नीति के प्रावधानों के तहत ससमय निष्पादन करने एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अगामी बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बि0रा0मु0 नीति, 2011 के संबंध में कहा गया कि माननीय न्यायालयों में मुकदमा दायर करने से पूर्व याचिकाकर्त्ता के शिकायतों को विभागीय स्तर पर निष्पादन किए जाने का प्रयास होना चाहिए ताकि माननीय न्यायालयों में दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके। साथ ही विभागीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्राप्त अभ्यावेदनों पर आठ सप्ताह (8 Weeks) के अन्दर तार्किक आदेश पारित करते हुए अभ्यावेदनों निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बि0रा0मु0नीति, 2011 के क्रियान्वयन के संदर्भ में सभी विभागों को निदेशित किया गया कि शिकायत निवारण समिति के समक्ष आए कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का ससमय निपटारा किया जाए। इस संदर्भ में आगामी बैठक में शिकायतों के संदर्भ में सभी विभाग प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें। सभी विभाग माह में एक बार विभागीय शिकायत निवारण समिति की बैठक अवश्य करें एवं उसकी कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। साथ ही सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को बि0रा0मु0 नीति, 2011 की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बि0रा0मु0 नीति, 2011 के संदर्भ में सभी विभागों को निर्देशित करते हुए बताया गया कि सभी विभाग शिकायतों के निवारण हेतु बि0रा0मु0 नीति, 2011 के नियम 2.3(b) के तहत विभागीय स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। कर्मचारी अपनी शिकायतों को विभागीय शिकायत निवारण समिति एवं अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रख सकते है। इस संदर्भ में विधि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि इस संदर्भ में बि0रा0मु0 नीति, 2011 की विशेषताओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराया जाए, ताकि बि0रा0मु0 नीति, 2011 के उद्देश्यों की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके।

7. बैठक में विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा यह बताया गया कि कुछ ऐसे भी मामलें आते हैं जिनमें आवेदक विभागीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन करने के साथ साथ न्यायालय की शरण में भी चले जाते हैं। सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करते समय प्रतिशपथ-पत्र में इस आशय का उल्लेख करें कि विभाग में शिकायत निवारण समिति गठित है, किन्तु आवेदक (याचिकाकर्त्ता) द्वारा विभागीय स्तर पर आवेदन नही देकर सीधे माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दिया जाता है।

8. बैठक में सभी विभागों को विभागीय शिकायत निवारण समिति का कार्यान्वयन बि0रा0मु0 नीति, 2011 में प्रावधानित नियमों के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया क्योंकि आवेदकों को यदि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत गठित शिकायत निवारण समिति की सार्थकता पर विश्वास होगा तो आवेदक निश्चित रूप से न्यायालय की शरण में नही जायेंगे एवं वादों की संख्या में कमी आयेगी।

9. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभागों में लंबित CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों की समीक्षा किया गया। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में लंबित वादों पर चर्चा किया गया। लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया।

10. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विभागों में वर्ष, 2012 के पूर्व के कोई मामले लंबित नहीं हैं। इस संबंध में विभागों से एक प्रमाण पत्र मांगा जाए। साथ ही सरकारी अधिवक्ताओं को यह निर्देश दिए जाने को कहा गया कि वे अपने पत्रों में मामलों की विषयवस्तु का स्पष्ट उल्लेख करें।

11. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वैसे विभाग जहाँ प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु सबसे अधिक मामलें लंबित हैं पर चर्चा किया गया। इस क्रम में CWJC में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामलों की संख्या अधिक है। इसी प्रकार MJC मामलों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है। इन विभागों को प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा शीघ्र दायर करने हेतु निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश भी दिया गया कि सभी विभाग यह प्रयास करें कि जितने नये मामले विभाग में दायर होते हैं उससे अधिक (नये एवं पुराने मामलों सहित) मामलों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का प्रयास करें तभी सही मायनों में लंबित मामलों में कमी लाया जा सकता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3430**जे0** पटना, दिनांक-18.05.15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3430**जे0** पटना, दिनांक-18.05.15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।